पश्चिम मध्य रेलवे

West Central Railway

No. C/CP/BPL/NFR/Parcel handling Contract/2023

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Railway Manager's office,
वाणिज्य शाखा, भोपाल
Commercial branch, Bhopal.
Date: 06.10.2023

EXPRESSION OF INTREST (EOI)

Divisional Railway Manager (Commercial), West Central Railway desired EOI for allotment of parcel handling contract through NFR in 7 parcel locations of Bhopal division.

On the basis of Railway Board and HQ's directives, West Central Railway Bhopal Division, invites Expressions of Interest through NFR for 7 parcel offices over Bhopal Division i.e. Bhopal, Rani Kamalapati, Sant Hirdaram Nagar, Harda, Bina, Ashok Nagar and Guna. Interested applicants can submit their EOI in sealed cover in the Division Office, Commercial Branch, In front of BSSS collage, Bhopal by 15:00 hrs of 18.10.2023. Tender will be invited after evaluation on the basis of expressions of interest shown by applicants. For brief details of terms and conditions, kindly visit at the website www.wcr.indianrailways.gov.in.

Note: Note: This is not a tender. This EOI is being called just to explore earning potential. The Railway Administration will decide the allotment of said work through open tender or prescribed rules and regulations. The Railway Administration will not accept any claim from the applicant. Railway Administration has reserved all rights.

Divisional Commercial Manager
WCR, Bhopal

पश्चिम मध्य रेलवे
West Central Railway

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय
Divisional Railway Manager's office,
वाणिज्य शाखा, भोपाल
Commercial branch, Bhopal.

No. C/CP/BPL/NFR/Parcel handling Contract/2023 Date: 06.10.2023

EXPRESSION OF INTREST (EOI)

अभिरुचि की अभिव्यक्ति

मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), पश्चिम मध्य रेल,भोपाल मण्डल के 7 पार्सल लोकेशनों में एनएफ़आर के माध्यम से पार्सल हैंडिलिंग कांट्रैक्ट आवंटन के संबंध में।

रेलवे बोर्ड और मुख्यालय के निर्देशों के आधार पर, पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल मंडल,भोपाल मंडल के 7 पार्सल कार्यालयों भोपाल, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर, हरदा, बीना, अशोक नगर और गुना के लिए एनएफआर के माध्यम से अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। इच्छुक आवेदक अपनी ईओआई सील लिफाफे में दिनांक 18.10.2023 को 15:00 बजे तक मण्डल कार्यालय, वाणिज्य शाखा, बीएसएसएस कॉलेज के पास, भोपाल में जमा कर सकते हैं। आवेदकों द्वारा दिखाई गई रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर मूल्यांकन के बाद निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। नियम और शर्तों की संक्षिप्त जानकारी वेबसाइट www.wcr. Indianrailways.gov.in पर उपलब्ध है।

नोट: यह कोई टेंडर नहीं है. यह ईओआई सिर्फ आय की संभावना तलाशने के उद्देश्य से मंगाई जा रही है। कार्य आवंटन का निर्णय रेल प्रशासन खुली निविदा अथवा निर्धारित नियम-शर्तो के माध्यम से करेगा। रेलवे प्रशासन आवेदक का कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगा। रेलवे प्रशासन ने सभी अधिकार सुरक्षित रखे हैं।

मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक
कृते मण्डल रेल प्रबन्धक (वा)

<u>पार्सल हैंडलिंग कांट्रैक्ट हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति</u>

भोपाल मण्डल के 7 स्टेशनो हरदा, भोपाल, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर, बीना, अशोक नगर तथा गुना पार्सल कार्यालयों में पार्सलों के लदान - उतरान के कार्य के साथ - साथ प्रति पार्सल कार्यालय में एक मल्टीपरपज स्टाल सह पार्सल गोदाम बनाने अनुमति प्रदान की जाएगी।

<u>आवंटन की शर्तें:-</u>

1. आपके द्वारा स्टेशन पर आने वाली सभी ट्रेनों में पार्सलों के लदान -उतरान हेतु 24 धंटे में स्वयं के खर्च पर कर्मचारीयों को नियुक्त करना होगा।
2. प्लेटफॉर्म से पार्सलों की निकासी 45 मिनिट के अंदर करना होगा। यदि माल गाडी का अवरोध होने की स्थिति में माल गाडी हटने से 45 मिनिट के अंदर पार्सलों की निकासी अनिवार्य रूप से की जानी होगी।
3. प्रस्तावक को प्लेटफार्म से पार्सल वहाँ वहन करने हेतु स्वयं के खर्चे पर भोपाल तथा रानी कमलापति स्टेशनो पर 4 इलेक्ट्रिक वाहन तथा अन्य स्टेशनो पर यातायात के अनुसार 1 इलेक्ट्रिक वाहन उपलब्ध कराया जाना होगा।
4. रेल प्रशासन द्वारा इस ठेके हेतु पार्सल कार्यालय में 60 वर्ग फिट स्थान मल्टीपरपज स्टाल तथा 60 वर्ग फिट स्थान गोदाम हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा जिसे स्वयं के व्यय पर अस्थाई निर्माण कराना होगा।
5. प्रस्तावक द्वारा मल्टीपरपज स्टाल पर व्यापारियों एवं रेलवे स्टाफ के लिए पेक्ड खाध्य पदार्थ जैसे बिस्किट, नमकीन, चिप्स, पानी बाटल, कोलड्रिंक एवं चाय कॉफी मशीन आदि बेचे जा सकते है एवं फोटो कॉपी व प्रिंट आउट की सुविधा भी प्रदान की जा सकती है। पैक्ड आईटम एमआरपी पर तथा चाय/ काफी रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य में बेचना होगा। फोटो कॉपी एवं प्रिंट आउट की सुविधा मार्केट मूल्य पर उपलब्ध करानी होगी। लाइसेन्सी को पार्सल गोदाम में अपने पैकेजों की बुकिंग व डिलिवरी के लिये पार्सलों के भंडारण की अनुमति होगी।
6. मल्टीपरपज स्टाल तथा गोदाम का निर्माण पूर्ण रूप से अस्थाई होगा जो स्वयं के व्यय पर करना होगा।
7. पार्सलों का लदान - उतरान तथा ट्रांशिपमेंट करने एवं निर्धारित समय में प्लेटफार्म से बाहर निकालने की पूर्ण जवाबदारी लाइसेन्सी की होगी ।
8. लदान - उतरान व निकासी के दौरान यदि पार्सलों में टूट फूट/ मिस हेंडलिंग लाइसेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों की गलती से होती है तो उसकी जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी। पार्सलों को हुये नुकसान की भरपाई लाइसेन्सी द्वारा करना होगा।
9. लाइसेन्सी एवं उसके कर्मचारियों के द्वारा पार्सलों का लदान - उतरान व निकासी ऑन डियूटी पार्सल कर्मचारियों की निगरानी में ही करना होगा।
10. लाईसेंसी को आवश्यकता अनुसार बिजली कनेक्शन लेने हेतु वरि मंडल विधुत इंजीनियर (सा) भोपाल को आवेदन कर बिजली कनेक्शन प्राप्त करना होगा । पानी के कनेक्शन हेतु लाईसेंसी को नियमानुसार अभियांत्रिकी विभाग को आवेदन कर पानी का कनेक्शन लेना होगा व पानी के बिल के अतिरिक्त अन्य नियत प्रभार जमा कराने होगें ।
11. लाइसेन्सी को मल्टीपरपज स्टाल सह गोदाम बनाने हेतु 120 वर्ग फिट उपलब्ध करायी जायेगी जिस पर अस्थाई निर्माण का खर्च लाईसेंसी के द्वारा वहन किया जायेगा ।
12. भविष्य में उक्त आवंटित स्थान की मांग यदि रेल प्रशासन द्वारा की जाती है तो लाइसेन्सी द्वारा उक्त स्थान को निर्धारित समय सीमा में खाली करना होगा जिसका पूरा खर्च प्रस्तावक द्वारा वहन किया जायेगा । रेलवे द्वारा पार्सल कार्यालय क्षेत्र में अन्य स्थान आवंटित किया जायेगा ।
13. रेल प्रशासन द्वारा जगह बदलने , कम एरिया उपलब्ध होने या अन्य किसी करणों से होने वाले नुकसान के लिये रेल प्रशासन जिम्मेदार नही होगी ।
14. इस ठेके के कार्य से संबंधित समस्त सुरक्षा सावधानिया ठेका प्रारंभ होने से पूर्व प्रस्तावक के द्वारा सुनिश्चित किये जायेगें ।
15. प्रस्तावक द्वारा इस कार्य हेतु अपने खर्चे पर निर्धारित स्टाफ को रखा जायेगा जिस हेतु समस्त वैधानिक दायित्व पूरे करने की जिम्मेदारी प्रस्तावक की होगी इस कार्य हेतु रेलवे प्रधान न्योक्ता नही होगा ।
16. प्रस्तावक को अपने स्टाफ का वेतन श्रम मंत्रालय द्वारा निर्धारित मिनिमम वेजेस के आधार पर करना होगा।
17. यदि यह पाया जाता है कि लाईसेंसी के द्वारा निर्धारित स्थान से ज्यादा जगह का अतिक्रमण किया गया है ऐसी स्थिति में लाइसेंसी से अतिरिक्त स्थान पर लाईसेंस फीस के अनुपातिक आधार पर 6 गुना रेट से दंड वसूला जायेगा व अतिक्रमण किये गये स्थान को तुरंत खाली कराया जायेगा ।
18. लदान - उतरान कार्य के अतिरिक्त यदि लाईसेंसी या उसके कर्मचारी अन्य गतिविधियों में लिप्त पाये जाते हैं तो ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा होने वाले नुकसान के लिये रेल प्रशासन जिम्मेदार नही होगा ।
19. कार्यरत कर्मचारी रेलवे द्वारा अनुमोदित यूनीफार्म में आई डी कार्ड के साथ कार्य करेगें। आई डी कार्ड स्टेशन प्रबंधक (वाणिज्य) द्वारा हस्ताक्षरित होगें । लाइसेन्सी को ठेका प्रारंभ करने से पूर्व नियुक्त समस्त स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन स्टेशन प्रबंधक वाणिज्य व मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक के कार्यालय में जमा कराने होगें।

20. इस कार्य हेतु लाइसेन्सी को उपलब्ध कराये गये समस्त सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी लाइसेन्सी की होगी इस संबंध में रेलवे का कोई दायित्व नही होगा।
21. लाइसेन्सी के कार्य से यात्रियों के आवागमन में कभी भी किसी प्रकार कर असुविधा उत्पन्न नही होनी चाहिये.
22. ठेका अवधि में किसी भी प्रकार की अनियमित्ता पाये जाने/शिकायत पर दंड अधिरोपित करने का पूर्ण अधिकार वरि मंडल वाणिज्य प्रबंधक भोपाल को होगा ।
23. रेल प्रशासन या लाइसेन्सी द्वारा इस ठेके को 01 माह की अग्रिम नोटिस देकर ठेका समाप्त किया जा सकता है।
24. इस कार्य के क्रियान्वयन हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशो का पालन आपके द्वारा स्वयं सुनिश्चित करना होगा।
25. प्रस्तावक द्वारा निम्न मदों पर अपना प्रस्ताव में प्रस्तावित करना आवश्यक है:
    a. रेल प्रशासन को प्रस्तावित लाइसेन्स फीस: रु
    b. अलग अलग स्टेशनो हेतु आवेदन दिया जा सकता है परंतु अधिकतम स्टेशनो हेतु प्रस्तावित करने पर तदनुसार निविदा आमंत्रित किया जावेगा।
    c. स्टेशन अनुसार नियुक्त करने वाले स्टाफ़ों की संख्या:

क्र	स्टेशन	प्रस्तावित स्टाफ़ों की संख्या	प्रस्तावित लाइसेन्स फीस
1.	हरदा		
2.	भोपाल		
3.	रानी कमलापति		
4.	संत हिरदाराम नगर		
5.	बीना		
6.	अशोक नगर		
7.	गुना		

Digitally Signed by Sanjay Gupta
Date: 06-10-2023 11:08:21
Reason: Approved

मण्डल वाणिज्य प्रबन्धक
क्रते मण्डल रेल प्रबन्धक (वा)
पश्चिम मध्य रेल, भोपाल